रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2001/ज्येष्ठ 10, 1923

No. 363] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2001/JYAISTHA 10, 1923

CENTRAL REFERENCE LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2001

का.आ. 487(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (1) (i) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा "सभी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निजी सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से अथवा नियोजक द्वारा सीधे ही चौकीदारी" संबंधी अनुसूचित नियोजन में कर्मचारी को प्रतिदिन देय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित मसौदा प्रस्ताव को धारा 5 की उप-धारा (i) (ख) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान का अनुसरण करते हुए उन सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर उस तारीख से दो माह की अवधि पूर्ण होने अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियाँ आम जनता को उपलब्ध करायी जाएंगी ।

इस संबंध में यदि कोई सुझाव और आपत्तियाँ हों, तो वे सचिव, श्रम मंत्रालय, मजदूरी प्रकोष्ठ, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजी जाएँ ।

केन्द्र सरकार द्वारा मसौदा प्रस्ताव से संबंधित केवल उन्हीं सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व प्राप्त होंगे ।

मसौदा प्रस्ताव

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निजी सुरक्षा सेवा के माध्यम से अथवा नियोजक द्वारा सीधे ही चौकीदारी संबंधी नियोजन में लगे कर्मकारों को देय मजदूरी की मूल दर 70/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है ।

2. न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर, राज्य क्षेत्र में विद्यमान दर तथा केन्द्रीय क्षेत्र में अकुशल कर्मकारों हेतु प्रस्तावित संशोधित न्यूनतम मजदूरी और परिवर्ती महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को ध्यान में रखकर निर्धारित की गयी है ।

3. ऊपर वर्णित अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए 0.16 पैसे की दर पर एक विशेष भत्ता (परिवर्ती महंगाई भत्ता) । औद्योगिक कामगारों हेतु 446 अंक (आधार वर्ष 1982=100) से आगे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो 31.12.2000 तक का छमाही औसत है, में प्रति अंक वृद्धि अथवा कमी के लिए विशेष भत्ते (परिवर्ती मंहगाई भत्ते) की दर ।

अधिसूचना के प्रयोजनार्थ स्पष्टीकरण

1. मजदूरी की न्यूनतम दरें और विशेष भत्ता दोनों मिलकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अंतर्गत प्रवर्तनीय मजदूरी की न्यूनतम दर की संरचना करते हैं।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं ।

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित श्रेणी के कर्मकारों को देय दरों के समान ही होंगी ।

4. जहाँ किसी कर्मचारी की ठेका अथवा करार अथवा अन्यथा पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्च हों वहाँ उच्चतर दरें ही लागू रहेंगी और उन्हें ऐसे कर्मचारियों हेतु इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ लागू मजदूरी की न्यूनतम दरों के रूप में माना जाएगा ।

[फा. सं. एस. 32018/3/98-डब्ल्यू सी(एम डब्ल्यू)]

जी.एस. राम, श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2001

S.O. 487(E).— The following draft proposal to fix the minimum wages per day payable to the employee in the scheduled employment of "Watch and Ward through Private Security Services or directly by the employer in all Public Sector Enterprises" which the Central Government popose in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) (i) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948, is hereby published in pursuance of the provision stipulated under sub-section (i) (b) of section 5 bid, for information of all those persons who are likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration on or after expiry of a period of two months from the date on which copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public.

Objection or suggestions, if any may be addressed to Secretary, Ministry of Labour, Wage Cell, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001.

Only those suggestions and objections in respect of the draft proposal which will be received before expiry of two months from the date of publication of this notification will be considered by the Central Government.

DRAFT PROPOSAL

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub section (1) of section 4 and sub section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act,1948, the Central Government hereby propose to fix the basic rate of wages at Rs,70/= per day payable to the workers engaged in the employment of Watch and Ward through Private Security service or directly by the employer in all Public Sector Enterprises.

2. The proposed rate of minimum wage has been fixed keeping in view, the rates prevalent in the State sphere and the proposed revised minimum wages of unskilled workers in the Central sphere and the present rate of Variable Dearness Allowances.

3. A special allowance (VDA) in set at the rate of 0.16 paise for the employees employed in the above mentioned scheduled employment. The Rate of special allowance (VDA) for every point rise or fall in All India Consumer Price Index number beyond 446 points (Base Year 1982=100) for Industrial workers which is six monthly average upto 31.12.2000.

Explanation for the purpose of the Notification

1. The minimum rates of wages and special Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act,1948(11 of 1948).

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. The minimum rates of wages for disabled persons shall be same as payable to the workers of the appropriate category.

4. Where the existing rates of wages of any employee, based on conract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected and treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[F. No. S. 32018/3/98-WC(MW)]

G.S. RAM, Labour and Employment Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.